

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक- 178 /सोनभद्र/33,दिनांक, रावर्टसगंज, अगस्त 04, 2023
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग
जनपद-सोनभद्र।

विषय- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत से सिरसिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.20 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 11.79हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/316/2022/एफसी/109 दिनांक-04.05.2023, इस कार्यालय का पत्रांक- 1775/सोनभद्र/33, दिनांक 12.05.2023। उपरोक्त विषयक परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निम्नानुसार 29 बिन्दुओं की शर्त अधिरोपित करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृत निर्गत किया गया है, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के साथ साथ वांछित धनराशि नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राक्कलन में आंकलित सेन्टेज चार्ज हटाने एवं रोड साइड पटरी वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ है। तत्क्रम में निम्नानुसार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by forest department over 11.79ha non forest land in khasara no . 1314kh, 1310kh, 1309k, 1313, 1308g, 1307, 1305, 1306, 8k, 10kh, 45gh in village Baijnath, District Sonbhadra at the cost of the user agency as far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. Forest land will be handed over only after required non forest land for the project is handed over by the user agency.
4. The non forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as RF/PF Prior to stage-II approval. a copy of the original notification declaring the non forest land under section-4 or section-29 of the Indian Forest Act 1927 or under the relevant section of the state forest act as case may be, will submitted by the state government at the time of submission of compliance of AIP.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA plantation will be maintained for ten

years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.

The state government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 11.79ha forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders Hon'ble Supreme court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA no 566 in WP (C) no. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters no 5-1/1998-FC(pt.II) dated 18.09.2003 as well as letter no 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009.

revised amount of NVP as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user agency in this regard.

7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the expert committee. Shall be charged by the state government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. The non forest land provided for CA shall be demarcated with boundary pillars
9. User agency shall restrict the felling of trees to 112 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the tree shall be felled under the strict supervision of the state forest department and the cost of felling of tree shall be deposited by the user agency with the state forest department.
10. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
11. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
12. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the state forest department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.
13. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the protected areas/Forest Areas.
14. The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC.
15. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986. If applicable.
16. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central Government.
17. No labour camp shall be established on the forest land.
18. Sufficient fire wood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
19. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
20. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
21. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.
22. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
23. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

the KML file of the area to be diverted the CA area, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.

25. Any order of temporary work Permission in case of linear project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issued of such permission.
26. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.
27. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & Wildlife.
28. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (<http://parivesh.nic.in>).
29. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<http://parivesh.nic.in>).

उक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या एवं परियोजना के सापेक्ष निम्नानुसार वांछित धनराशि नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कराते हुए क्षतिपूरक वर्गीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि को वन विभाग सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र के नाम अमलदरामद कराकर प्रत्येक गाटों का अलग-अलग उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेसिंग क्लाय पर तरमीम कराते हुए तरमीमी मानचित्र छः प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	NPV की धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	वृक्षों के छपान एवं पातन हेतु धनराशि	बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु धनराशि	रोड साइड पटरी वृक्षारोपण हेतु धनराशि	सम्पूर्ण योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2	सोनभद्र	1,12,92,226.00	30,84,444.00	छपान- 2576 (112@23) + पातन- 54880 (112@490) = 57456.00	सर्वे-2500 सीमा स्तम्भ- 1,23,750 (45@2750) + इंडिकेटर- 47,025 (45@1045) = 1,73,275.00	1,80,55,900.00	3,26,63,301.00

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

संख्या/

अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

सुअरसोत से सिरसिया सम्पर्क मार्ग (पैकेज संख्या- UP67153)

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्टसगंज सोनभद्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (पौध संख्या)	वित्तीय (लाख में)
प्रथम	4300 पौध	141.36100
द्वितीय	4300 पौध	17.72400
तृतीय	4300 पौध	14.52300
चतुर्थ	4300 पौध	2.33800
पंचम	4300 पौध	0.65900
षष्ठम	4300 पौध	0.65900
सप्तम	4300 पौध	0.65900
अष्टम	4300 पौध	0.65900
नवम	4300 पौध	0.65900
दशम	4300 पौध	0.65900
एकादस	4300 पौध	0.65900
योग		180.55900

शब्दों में रू0 एक करोड़, अस्सी लाख, पचपन हजार नौ सौ मात्र

4
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्ट्सगंज सोनभद्रं
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	7.776 हे०	5.262	5.262
द्वितीय	7.776 हे०	2.130	2.130
तृतीय	7.776 हे०	1.380	1.518
चतुर्थ	7.776 हे०	1.330	1.596
पंचम	7.776 हे०	1.450	1.885
षष्ठम	7.776 हे०	1.040	1.456
सप्तम	7.776 हे०	1.040	1.560
अष्टम	7.776 हे०	0.922	1.475
नवम	7.776 हे०	0.922	1.567
दसम	7.776 हे०	0.520	0.936
ग्यारहम	7.776 हे०	0.520	0.988
द्वादस	7.776 हे०	0.520	1.040
योग		17.036	21.414

शब्दों में रू० इक्कीस लाख इकतालीस हजार चार सौ मात्र


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्ट्सगंज सोनभद्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	2.035 हे०	1.830	1.830
द्वितीय	2.035 हे०	0.420	0.420
तृतीय	2.035 हे०	0.341	0.375
चतुर्थ	2.035 हे०	0.330	0.396
पंचम	2.035 हे०	0.358	0.465
षष्ठम	2.035 हे०	0.182	0.255
सप्तम	2.035 हे०	0.182	0.273
अष्टम	2.035 हे०	0.131	0.210
नवम	2.035 हे०	0.131	0.223
दसम	2.035 हे०	0.048	0.086
ग्यारहम	2.035 हे०	0.048	0.091
द्वादस	2.035 हे०	0.048	0.096
योग		4.049	4.720

शब्दों में रू० चार लाख बहत्तर हजार मात्र

4
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्टसगंज सोनभद्रं
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	1.979हे०	1.868	1.868
द्वितीय	1.979हे०	0.410	0.410
तृतीय	1.979हे०	0.338	0.372
चतुर्थ	1.979हे०	0.328	0.394
पंचम	1.979हे०	0.364	0.473
षष्ठम	1.979हे०	0.182	0.255
सप्तम	1.979हे०	0.180	0.270
अष्टम	1.979हे०	0.130	0.208
नवम	1.979हे०	0.130	0.221
दसम	1.979हे०	0.042	0.076
ग्यारहम	1.979हे०	0.042	0.080
द्वादस	1.979हे०	0.042	0.084
योग		4.056	4.710

शब्दों में रू० चार लाख इकहत्तर हजार मात्र


 प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ
पत्रांक-788/2-37-2 (APO) 2018-19 (NPV) दिनांक, लखनऊ, नवम्बर: 15, 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक,
संतकबीर नगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गोण्डा, पीलीभीत टाईगर
रिजर्व, शाहजहाँपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, झांसी, उरई, जालौन, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर,
रायबरेली, उन्नाव, अवध, उ० खीरी, कानपुर देहात, इटावा, मीरजापुर, ओबरा, रेनूकूट, सोनभद्र,
आगरा, मैनपुरी, एटा काशी वन्यजीव प्रभाग एवं सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, उ०प्र०।

विषय:-उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रचालन योजना के विभिन्न मदों के मांग के
सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-इस कार्यालय का पत्रांक-2509/2-37-2, दिनांक 11.06.2018, पत्रांक-340/2-37-2, दिनांक
11.06.2018 एवं पत्रांक-685/2-37-2, दिनांक 26.10.2018।

महोदय,

उत्तर प्रदेश कैम्पा की वार्षिक प्रचालन योजना वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत वन सीमाओं का
सीमांकन तथा वाउन्ड्री पिलर की स्थापना हेतु प्रभागों से प्राप्त मांग के आधार पर प्रभागवार नैसर्गिक
व्याथ/अनुपातिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये संलग्न सूची के अनुसार (संलग्नक-1)
आवंटित/अवमुक्त किया जाता है।

उक्त पत्रों द्वारा की गयी मांग के अनुसार धनराशि रू० 80.00 लाख का आवंटन कर भौतिक एवं
वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपको निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए रू० 80.00 लाख की
धनराशि पृथक से अवमुक्त की जा रही है:-

1. उक्त धनराशि का व्यय उ०प्र० कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वर्ष 2018-19 की वार्षिक
प्रचालन योजना में एनपीवी मद के वन सीमाओं का सीमांकन तथा वाउन्ड्री पिलर की स्थापना
हेतु ही किया जाय।
2. विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उक्त आवंटित धनराशि अधिकतम है। प्रभाग को आवंटित
भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत प्रस्ताव (DPR) अपर प्रमुख वन संरक्षक, सा०वा०
एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-पी-202/36-टी-311, दि० 16.08.2016 द्वारा
निर्धारित सीलिंग दरों/नाम्स के अन्तर्गत किया जाय। निर्माण कार्य सम्बन्धित क्षेत्र में प्रचलित
पी०डब्ल्यू०डी० की अनुमानित दरों के अनुरूप कराया जाय।
3. वन सीमाओं का सीमांकन तथा वाउन्ड्री पिलर की स्थापना हेतु अद्यावधिक विस्तृत प्रस्ताव
(DPR) को अपने नियंत्रक अधिकारी वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (लोक निर्माण विभाग यथा
आवश्यक हो) से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निम्न प्रारूप में योजना सुनिश्चित करे, यदि विस्तृत
प्रस्ताव (DPR) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये बिना कार्य प्रारम्भ कराया जाता है तो उसके
लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक पूर्ण रूप से वित्तीय अनियमितता के
लिये उत्तरदायी होंगे।

क्र०स०	प्रभाग का नाम	वन सीमा का विवरण जहाँ सीमांकन कार्य किया जाना है	वन सीमा की लम्बाई जहाँ सीमांकन कार्य किया जाना है (किमी० में)	प्रस्तावित कार्य के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले वाउन्ड्री पिलर की संख्या	आवृत्तित रेंजों के नाम	आवृत्तित ब्लॉक/कहा का नाम	आवश्यक दस्तावेज
--------	---------------	--	---	--	------------------------	---------------------------	-----------------

ALC
मुख्य कार्यकारी
प्रमुख वन संरक्षक
30/11/2018

4. लक्ष्य का आवंटन प्रभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, सा0वा0 एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्राक-पी-202/36-टी-311, दिनांक 16.08.2016 द्वारा निर्धारित सीलिंग दरों/नाम्स द्वारा वन सीमाओं का सीमांकन तथा बाउन्ड्री पिलर की स्थापना कार्य में 1 किमी0 में होने वाला व्यय निम्न प्रकार होगा:-

अ- सर्वे एवं डिमारकेशन कार्य पर व्यय-	रु0	610.00
ब- 2 सीमा स्तम्भों की स्थापना पर व्यय-	रु0	5500.00
स- 2 इन्डीकेटर पिलर की स्थापना पर व्यय-	रु0	2090.00
योग-		8200.00

5. उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

(i) अग्रपंक्ति के वन कर्मचारियों हेतु विभिन्न कैटेगिरी/प्रकार के आवासीय भवनो/बेस कैम्प के निर्माण हेतु चयनित स्थल का विवरण (स्थल का नाम, अक्षांश एवं देशान्तर सहित) अपलोड करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्माण कार्य कराने से पूर्व अवश्य अपने स्तर से पुनः पुष्टि कर ली जाए।

प्रभागों/कार्यालय द्वारा उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धित पी0डब्लू0डी0 सर्किल में प्रचलित अनुसूचित दरों के आधार पर किया जाएगा।

6. कैम्पा के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का स्थलवार मासिक विवरण प्रत्येक माह हेतु आगामी माह की 2 तारीख तक प्रत्येक दशा में फैंक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
7. उक्त धनराशि के व्यय हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत State CAMPA गाइडलाइन्स एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्राक-1604/14-2-2015-600(4)/2009 दि0 22.09.2015 द्वारा जारी उ0प्र0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण की नियमावली के संगत प्राविधानों को ध्यान में रखा जाए।

भारत सरकार के पत्राक-15-2(30)/2012-CAMPA दिनांक 12.12.2014 द्वारा उक्त कार्य कराये जाने एवं धनराशि के व्यय हेतु NEREGA की विस्तृत गाइडलाइन्स के अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार निर्देश दिए गये हैं :-

1. "While carrying out the work of utilizing these funds the broad guidelines adopted by NEREGA may be followed and as far as possible work may be allotted mostly to rural unemployed people, maintaining the minimum wage level."

इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. आवंटित धनराशि का व्यय वजेट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अनुरूप सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए।
9. निर्माण कार्य का यथा भवन निर्माण को आगणन/साइट प्लान/मास्टर प्लान आदि तैयार कर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाय। भवनो के निर्माण में वित्त संसाधन विविध अनुभाग के शासनादेश संख्या-1135/दत्त-स0भित0-1-99 दिनांक 10.09.1999 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्माण कार्य सम्बन्धित क्षेत्र में प्रचलित पी0डब्लू0डी0 की अनुसूचित दरों के अनुसार करवाये जायें।
10. सामग्री का क्रय स्टोर पर्चेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय एवं व्यय करते समय भिन्नता के सम्बन्ध में जारी अद्यतन शासनादेशों का अनुपालन किया जाय।
11. विभिन्न कार्यों हेतु उक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित को रु0 80.00 लाख तक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये इन्ट्रेस्ट बियरिंग एकाउण्ट में पृथक से electronically transfer की

12. आवंटित धनराशि के व्यय हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० के पत्रांक 52/6-3-3 दिनांक 25-08-11 द्वारा लेखांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्गत किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस कार्यालय के पत्रांक 1719/2-1 (मामिक लेखा) /Doble Entry दिनांक 13.05.2016 द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुरूप मासिक लेखा प्रत्येक माह भेजना सुनिश्चित किया जाय।
13. आवंटित धनराशि को आवश्यकतानुसार ही बैंक से आहरित कर व्यय किया जाय। किसी भी दशा में अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक से आहरित न की जाय।
14. सम्पादित कार्यों की माप को मापन पुस्तिका में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा। मापन पुस्तिका पर व्यय पत्र/प्रमाणक पारितकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी किया जाएगा।
15. इस कार्यालय के पत्रांक 679/2-37-2 दिनांक 26.10.2017 द्वारा निर्गत निर्देश कि कैम्पा फण्ड से भवनों के निर्माण/मरम्मत कार्य से पूर्व एवं कार्य के बाद फोटो ग्रॉफी अवश्य करायी जाय।
16. ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन तथा वन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।
17. ई-पेमेंट आन-लाईन मनी ट्रांसफर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में वन एवं वन्यजीव अनुभाग-4 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1947/14-4-2017, दिनांक 30.08.2017, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-193/40-5, दिनांक 04.09.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-600/2-37-2, दिनांक 28.09.2017 तथा उ०प्र० शासन एवं वन विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
18. भुगतान से पूर्व एक बार पुनः सुनिश्चित हो ले कि कोई भी भुगतान आवश्यकता से अधिक एवं त्रुटिपूर्ण न हों।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(सुनील कुमार दूबे)

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
(उ०प्र० कैम्पा), लखनऊ

संख्या 788/

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, प० क्षेत्र मेरठ, द० क्षेत्र इलाहाबाद, मध्य क्षेत्र लखनऊ, रुहेलखण्ड बरेली, बुन्देलखण्ड झांसी, लखनऊ मण्डल, कानुपर मण्डल, मीरजापुर मण्डल, आगरा क्षेत्र आगरा, वन्यजीव प० कानपुर, वन्यजीव पूर्वी गोण्डा, उ०प्र०।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बस्ती, मेरठ, इलाहाबाद, देवीपाटन वृत्त गोण्डा, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, चित्रकूट धाम, आगरा, अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़, उ०प्र०।

(सुनील कुमार दूबे)

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
(उ०प्र० कैम्पा), लखनऊ